



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 27.03.2023

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम केरटू में हरियाणा पुलिस के साथ हुई घटना में लिप्त 25,000/- रुपये का ईनामी शातिर बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व मोटरसाइकिल बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 26.03.2023 को ग्राम केरटू में हरियाणा पुलिस की सोनीपत एसटीएफ यूनिट थाना मधुबन जनपद करनल में पंजीकृत मु0अ0सं0 50/20 धारा 302 भादवि व 25 आयुध अधिनियम में 25,000/- रुपये के इनामी हत्याभियुक्त जबरुद्दीन उर्फ जबरू पुत्र सफी निवासी ग्राम केरटू थाना झिंझाना जनपद शामली की गिरफ्तारी हेतु ग्राम केरटू आई थी। अभियुक्त जबरुद्दीन की गिरफ्तारी के उपरान्त अभियुक्त जबरुद्दीन द्वारा शोर मचाने पर अभियुक्त के परिजनों व ग्रामीणों द्वारा हरियाणा पुलिस पर जानलेवा हमला कर अभियुक्त जबरुद्दीन को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया तथा हरियाणा पुलिस के साथ मारपीट कर सरकारी पिस्टल आदि लूटने की घटना कारित की गई थी। घटना में हरियाणा पुलिस के 03 पुलिसकर्मियों को चोट आई थी। जिनका उपचार सीएचसी झिंझाना में कराया गया था। घटना के सम्बन्ध में पुलिस टीम के प्रभारी ईएसआई श्री राजवीर सिंह की तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 123/23 धारा 147, 148, 149, 323, 224, 225, 307, 332, 353, 395, 397, 506, 186 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में 21 नामजद तथा 30-40 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक शामली व क्षेत्राधिकारी कैराना के नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस को घटना में संलिप्त अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। थाना झिंझाना पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए घटना में लिप्त 06 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर लूटी गई पिस्टल मय 10 कारतूस 09 एमएम को बरामद कर जेल भेजा गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 27.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे ईनामी/वांछित बदमाशों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा ग्राम सुबरी मार्ग पर पर हुई मुठभेड़ में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में 25,000/- रुपये का ईनामी शातिर बदमाश को घायल/गिरफ्तार किया गया है। घायल बदमाश को उपचार हेतु सीएचसी झिंझाना में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार/घायल बदमाश के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 03 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर तथा 01 संदिग्ध स्पलेण्डर मोटरसाइकिल बिना नम्बर बरामद हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु निरन्तर दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1.जबरुद्दीन उर्फ जबरू पुत्र सफी निवासी ग्राम केरटू थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास घायल/गिरफ्तार अभियुक्त जबरुद्दीन:-

1.मु0अ0सं0 50/20 धारा 302 भादवि व 25 आयुध अधिनियम सोनीपत हरियाणा।

2.मु0अ0सं0 123/23 धारा 147,148,149,323,224,225,307,332,353,395,397,506,186 भादवि व 7 सीएलए एक्ट

|

बरामदगी का विवरण-

1. 01 तमंचा 315 बोम मय 03 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस ।
2. एक संदिग्ध स्पलेण्डर मोटरसाइकिल बिना नम्बर ।



थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत जानलेवा हमले के मामले में 03 अभियुक्त गिरफ्तार -

आज दिनांक 27.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 13.03.2023 को श्री मिन्ना पुत्र अलीहसन निवासी मौ0 आर्यपुरी मे जानलेवा हमले मे गम्भीर रुप से घायल करने के संबंध में थाना कैराना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. इमरान पुत्र शमशाद निवासी एकता कालोनी कांधला देहात कस्बा व थाना कांधला शामली।
2. मौ0 लुकमान पुत्र शौकिन निवासी एकता कालोनी कांधला देहात कस्बा व थाना कांधला शामली।
3. सहिदूदीन उर्फ सईदू पुत्र युसुफ निवासी एकता कालोनी कांधला देहात कस्बा व थाना कैराना शामली।



थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भूरा में हुए जानलेवा हमले में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा मय जिंदा कारतूस बरामद:-

आज दिनांक 27.03.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस- 315 बोर बरामद किया गया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 25.03.2023 को श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री नाथीराम निवासी ग्राम भूरा के भतीजे व पुत्री को अंकित आदि 03 अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर गम्भीर रूप से घायल करने के संबंध में थाना कैराना पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गयी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. पंकज पुत्र स्व0 धर्मसिंह निवासी ग्राम भूरा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा मय 01 जिंदा कारतूस-315 बोर।



थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 01 अदद छुरा बरामद ।

दिनांक 27.03.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे अवैध शराब/अवैध हथियार की बरामदगी/निर्माण/तस्करी/ में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा चौकिंग के दौरान सूचना पर 01 नफर अभियुक्त को मय 1 अदद छुरा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त नाम व पता-

1. उस्मान पुत्र अशरफ नि0 मौ0 गुम्बद कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली ।

बरामदगी-

1. एक अदद छुरा

